न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र विविध संख्याः 04 / 2024
दायर दिनांकः 23.02.2024
निर्णय दिनांक 23.02.2026

—: अनवान :—

श्री मोहनलाल पिता डालचंद जी जाति सालवी निवासी कुंवारिया, तालाब की पाल, तहसील कुंवारिया, जिला—राजसमंद (राज0)

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री हुक्मीचंद पिता दयाराम जी सालवी
2. श्रीमती मांगी पत्नि मांगीलाल जी सालवी
3. श्रीमती रामु बाई पत्नि प्रताप जी सालवी
4. मांगीलाल पिता घासी जी सालवी
5. भीमा पिता रामा जी सालवी
6. श्रीमती दाखी पत्नि भीमा जी सालवी
7. शंकरलाल पिता मांगीलाल जी सालवी
8. गीता पत्नि शंकरलाल जी सालवी
9. मांगीलाल पिता गंगाराम जी सालवी
10. अम्बालाल पिता वगता जी सालवी
11. शंकरी पत्नि अम्बालाल जी सालवी
12. प्रेमचंद पिता मांगीलाल जी सालवी
13. जगदीश पिता एकलिंग जी सालवी
14. श्रीमती राजी पत्नि जगदीश जी सालवी
15. गोकुल पिता हरलाल जी सालवी
16. श्रीमती हंसु बाई पत्नि गोकुल जी सालवी
17. लेहरुलाल पिता हरलाल जी सालवी
18. श्रीमती प्रेमी पत्नि लेहरुकाल जी सालवी
19. श्रीमती मांगी पत्नि नारुलाल जी सालवी
20. रतनलाल पिता वरदा जी सालवी
21. श्रीमती दुर्गा पत्नि रतनलाल जी सालवी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

22. कुका पिता हरलाल जी सालवी
23. नारुलाल पिता रामा जी सालवी
24. हीरालाल पिता दीपा जी सालवी
25. नाथी पत्नि हीरालाल जी सालवी
26. मांगीलाल पिता दीपा जी सालवी
27. हीरा पिता वगता जी सालवी
28. सुगना पत्नि मदनलाल जी सालवी
29. सोहनलाल पिता मोहनलाल जी सालवी
30. सुडी बाई पत्नि शंकरलाल जी सालवी
31. चांदी बाई पत्नि डालचंद जी सालवी,
32. मांगीबाई पत्नि लाला जी सालवी
33. नानी पत्नि सुरेश जी सालवी
34. घीसुलाल पिता नानालाल जी सालवी
35. भेरुलाल पिता कनीराम जी सालवी
36. तुलसीराम पिता नानालाल जी सालवी
37. सोहनलाल पिता प्रताप जी सालवी
38. भेरुलाल पिता कुका जी सालवी
39. भोलीबाई पत्नि कुका जी सालवी
40. प्रभुलाल पिता शंकर जी सालवी
41. गोपी पत्नि तलसीराम जी सालवी
42. पंकज पिता हुक्मीचंद जी सालवी
43. अर्जुन पिता दयाराम जी सालवी
44. सोहनलाल पिता दयाराम जी सालवी
45. किसन पिता मांगीलाल जी सालवी
46. प्यारी पत्नि किसनलाल जी सालवी
47. बाबु पिता डाल जी सालवी
48. बद्री पिता भुरा जी सालवी
49. प्यारी पत्नि लेखराज जी सालवी
50. गोपीबाई पत्नि तुलसीराम जी सालवी

सभी निवासीयान कुंवारिया तालाब के पास, सालवी मोहल्ला, तहसील कुंवारिया जिला– राजसमंद

– **अप्रार्थीगण**

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थना पत्र बाबत धारा 5–6 राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954

उपस्थित :–

1. श्री रतनलाल रावत, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री दीपक कुमार आचार्य, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का मकान अंदर हल्का आबादी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद में स्थित है, जो प्रार्थी के पिता डालू से विरासत से प्राप्त हुआ है। जो तालाब व सार्वजनिक सराय सालवी समाज की बनी हुई है, उसके उत्तर दिशा की तरफ स्थित है। उक्त मकान दो मंजिला होकर उसका मुख्य द्वार दक्षिणी दिशा की तरफ है। उक्त मकान के सामने सिढीयों को मिलाते हुऐ व हवा रोशनी बंद करने के उद्देश्य से विपक्षीगणों ने अवैध निर्माण कर अवैध चबूतरा का निर्माण किया था। जिससे व्यथित होकर के न्यायालय सिविल जज साहब, राजसमंद के यहां सिविल मुकदमा किया था, जो लंबित है। उक्त अवैध चबुतरे के बीच मे पुरानी कुई बनी हुई है, जिसको ढंक दिया गया है। प्रार्थी के भाई भगवतीलाल ने सिविल जज साहब, राजसमंद के यहां पर मुकदमा किया जिसका अनवान भगवतीलाल बनाम प्यारी बाई व भगवतीलाल बनाम ग्राम पंचायत कुंवारिया है। विपक्षीगण सालवी जाति के होकर प्रभावशाली व्यक्ति है। जो राजनीती में ऊंची पहुंच रखते है, इन लोगों के पुजने के लिए दशामाता का स्थान पहले से ही अलग जगह पर स्थित है, लेकिन विपक्षीगण बिना आप न्यायालय की अनुमति के बिना रामदेवजी की मूति/पगलिया स्थापना विवादग्रस्त स्थल पर नया देवस्थान दशामाता का स्थान स्थल पर स्थापित करना चाहते है। जिन्हें उक्त अवैध कृत्य करने का कानूनी कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। जिसके बारे में प्रार्थी ने थानाधिकारी कुंवारिया, एस0पी0 साहब, राजसन्द, तहसीलदार साहब, कुंवारिया को भी रिपोर्ट पेश कर जबरदस्ती नया धार्मिक स्थान विवादग्रस्त स्थल पर अवैध रूप से स्थापित कर अवैध रूप से कब्जा करना चाह रहे है, जो विधि विरुद्ध है। विपक्षीगण विवादित स्थल पर रामजेवजी की मूर्ति/पगलिया स्थापना अवैध दशामाता का स्थान स्थापित नहीं करे न ही नया कोई धार्मिक स्थल स्थापित करे, न ही मौके पर कोई अवैध निर्माण करे, इस हेतु विपक्षीगण को पाबंद कराये जाने के अनुतोण के लिए प्रार्थना पत्र पेश है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्राथी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को आदेशित किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी के मकान के सामने स्थित विपक्षीगण

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

के द्वारा सार्वजनिक कुई के यहां अवैध चबुतरा बनाकर अवैध रूप से रेलिंग लगाकर उक्त स्थान पर विपक्षीगण बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना नया देव स्थान धार्मिक स्थल के तहत दशामाता का स्थान, रामदेवजी की मूर्ति/पगलिया स्थापना करना चाह रहे है, उसे रोका जाये एवं यदि दौराने प्रार्थना पत्र दशामाता का स्थान, रामदेवजी की मूर्ति/पगलिया स्थापित कर देवे तो विधि सम्मत आदेश प्रदान कर हटाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं विपक्षीगण के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर विपक्षीगण के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जाये ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक कुमार आचार्य द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का मकान अंदर हल्का आबादी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद में स्थित है, जो प्रार्थी के पिता डालू से विरासत से प्राप्त हुआ है। जो तालाब व सार्वजनिक सराय सालवी समाज की बनी हुई है, उसके उत्तर दिशा की तरफ स्थित है। उक्त मकान दो मंजिला होकर उसका मुख्य द्वार दक्षिणी दिशा की तरफ है। उक्त मकान के सामने सिढीयों को मिलाते हुऐ व हवा रोशनी बंद करने के उद्देश्य से विपक्षीगणों ने अवैध निर्माण कर अवैध चबूतरा का निर्माण किया था। जिससे व्यथित होकर के न्यायालय सिविल जज साहब, राजसमंद के यहां सिविल मुकदमा किया था, जो लंबित है। उक्त अवैध चबुतरे के बीच मे पुरानी कुई बनी हुई है, जिसको ढंक दिया गया है। प्रार्थी के भाई भगवतीलाल ने सिविल जज साहब, राजसमंद के यहां पर मुकदमा किया जिसका अनवान भगवतीलाल बनाम प्यारी बाई व भगवतीलाल बनाम ग्राम पंचायत कुंवारिया है। विपक्षीगण सालवी जाति के होकर प्रभावशाली व्यक्ति है। जो राजनीती में ऊंची पहुंच रखते है, इन लोगों के पुजने के लिए दशामाता का स्थान पहले से ही अलग जगह पर स्थित है, लेकिन विपक्षीगण बिना आप न्यायालय की अनुमति के बिना रामदेवजी की मूति/पगलिया स्थापना विवादग्रस्त स्थल पर नया देवस्थान दशामाता का स्थान स्थल पर स्थापित करना चाहते है। जो विधि विरूद्ध हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को आदेशित किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी के मकान के सामने स्थित विपक्षीगण के द्वारा सार्वजनिक कुई के यहां अवैध चबुतरा बनाकर अवैध रूप से रेलिंग

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लगाकर उक्त स्थान पर विपक्षीगण बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना नया देव स्थान धार्मिक स्थल के तहत दशामाता का स्थान, रामदेवजी की मूर्ति/पगलिया स्थापना करना चाह रहे है, उसे रोका जाये। विपक्षीगण के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर विपक्षीगण के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जाये ।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जानबुझ कर विपक्षीगण को परेशान करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। चबुतरा सार्वजनिक हैं। विपक्षीगण तथा गावॅ के समस्त व्यक्ति उसका उपयोग उपभोग करते हैं। वादग्रस्त स्थल पर केवल 10 दिनो के लिए दशामाता की पूजा अर्चना की जाती हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावें।

मैंने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि प्रार्थी के घर के आगे एक सार्वजनिक चबूतरा ग्राम पंचायत कुंवारिया की भूमि पर स्थित था। इस चबूतरे के उन्नतीकरण का कार्य ग्राम पंचायत कुंवारिया द्वारा वर्ष 2023 में कराया गया। तो इस उन्नतीकरण के तहत इस चबूतरे पर रेलिंग लगाई गई और नया फर्श लगाने का काम किया गया। इस चबूतरे का उपयोग ग्राम की महिलाओं द्वारा दशामाता पूजन के लिए किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र रिलीजियस प्रमीसेस एक्ट, राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम, 1954 की धारा 5 व 6 के तहत प्रस्तुत किया गया था। सर्वप्रथम हमने इस राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम, 1954 का अध्ययन किया गया। इस अधिनियम की धारा 6 में एक स्पष्टीकरण निम्न प्रकार लिखा गया है– "The temporary use of a building or place for religious purposes on occasions such as Holi, Moharram and the like shall not be deemed to be the conversion thereof into a public religious building-" अर्थात यदि किसी स्थल का उपयोग किसी विशेष अवसर पर, जैसे कि होली, मुहर्रम आदि के लिए किया जाता है, तो वह इस अधिनियम के अंतर्गत कवर नहीं होता है।

यहाँ पर उल्लेखनीय है कि दशा माता का पूजन चैत्र माह कृष्ण पक्ष के 10वें दिन, अर्थात होली के 10वें दिन, वर्ष में मात्र एक बार महिलाओं द्वारा पीपल के पेड़ के आसपास एकत्रित होकर किया जाता है, तथा जिसमें पीपल वृक्ष की पूजा भी की जाती है और इस संबंध में प्रचलित कथा का वाचन भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यह एक किसी विशेष अवसर पर इस चबूतरे का उपयोग होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अतः अधिनियम की धारा 6 में दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर इसे रिलीजियस बिल्डिंग, अर्थात धार्मिक भवन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। जब विवादित स्थल ही राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम, 1954 के अंतर्गत निहित नहीं होता हो, तो उसकी सुनवाई इस अधिनियम के तहत किया जाना मैं उचित नहीं समझता हूँ। साथ ही इस पत्रावली में यह भी स्पष्ट हुआ है कि इस विवादित स्थल के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय में भी विवाद चल रहा है। तो चूँकि यह आवेदक के सिविल राइट्स से जुड़ा हुआ विषय है और इसका निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। रिलीजियस प्रमीसेस एक्ट के तहत ये कवर नहीं होता है, अतः मैं इस न्यायालय का इसमें क्षेत्राधिकार नहीं पाता हूँ और इस प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाना उचित समझता हूँ।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 23.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)